Higher standard Tax deduction for senior citizens

1478. SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to offer higher rate of standard Tax deduction for senior citizens in view of the Government's policy to address the concerns of the aged, to help them spend their life with purpose, dignity and peace; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) Senior citizens already enjoy a tax rebate of rupees ten thousand under section 88B of the income tax Act. The Government has proposed certain other measures in finance Bill 1999.

(b) (i) Under existing provisions a deduction of rupees fifteen thousand is available to individuals or HUF in case the assessee or the dependent are suffering from chronic and protracted ailments, in case the assessee or such dependent is a senior citizen the limit is proposed to be raised to rupees sixty thousand.

(ii) Under existing provisions a deduction upto rupees ten thousand is available for payment to effect or keep in force an insurance on the health of the assessee or his family member. In case the payment is to effect or to keep in force an insurance on the health of assessee or eligible family member who is a senior citizen the deduction is proposed to be raised to rupees fifteen thousand.

विभिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न वेतनमान

1479. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक कर्मियों के वेतनमान संशोधन के संबंध में की जा रही मांग के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या सरकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान वेतनमान देने की मौजूदा नीति में परिवर्तन कर सभी बैंकों में अलग अलग वेतनमान के किसी फार्मूले पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या बैंकों में अधिक मानव शक्ति के सदुपयोग के लिये बैंकों को दो पालियों में चलाने की योजना है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) और (ख) बैंकिंग उद्योग में मजदूरी परिनिर्धारण बैंक-प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) और कामगार यूनियनों/अधिकारी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा समझौता-वार्ता द्वारा किया जाता है; आई बी ए ने दो विकल्पों की पेशकश की है, जो है (i) मूल वेतन के लिए समझौता वार्ताओं को उद्योग स्तर पर प्रतिबंधित करना तथा महंगाई भत्ते एवं मजदूरी के अन्य सभी घटकों को बैंक स्तर पर परिनिर्धारित की जाने के लिए छोड़ना (ii) बैंकों को उनकी लाभप्रदत्ता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटना और बैंकों के प्रत्येक समूह के लिए भिन्न-भिन्न परिनिर्धारण करना, परन्तु यूनियनों/संघों द्वारा दोनों ही विकल्प मंजूर नहीं किए गये। बाद में सभी बैंकों के लिए समान परिनिर्धारण पर पहुंचने के लिए उन सभी बैंकों, जो इस परिनिर्धारण के पक्षकार थे, के बीच विचार-विमर्शों के आठ दौर हुए। आशा है कि आई बी ए और यूनियन/संघ समझौता-कर्ताओं के जरिए सौहार्दपूर्ण निर्धारण पर पहुंच जाएंगे।

(ग) सरकार ने बैंकों को दो पाली में चलाने की कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, उपलब्ध श्रमशक्ति का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, बैंक अपनी शाखाओं के लिए व्यवसाय/फार्म घंटे निर्धारित करने या दो पालियों में शाखाएं चलाने हेतु अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं।